

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम 1973 (संशोधित 2013) के अन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की सीधी भर्ती द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 4/2013 के अन्तर्गत नियुक्ति अभ्यर्थियों को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी विज्ञप्ति संख्या 1/13 में पात्र पाये जाने पर इनकी नियुक्ति विज्ञप्ति संख्या 1/13 में पढे जाने के इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05.02.2016 एवं 10.02.2016 द्वारा संशोधित आदेश जारी किये जाने के उपरान्त निम्न अभ्यर्थियों ने निर्धारित दिनांक 19.02.2016 तक विभाग में कार्यग्रहण नहीं किये जाने पर निम्न आयुर्वेद चिकित्साधिकारी अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्ति/पदस्थापन आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं :-

s.n.	Name	Father's Name	Birth date	Gender	Category	Marks %	पदस्थापन स्थान
1	MANOJ KUMAR SHARMA	SHAYAM LAL VERMA	13-01-69	MALE	GEN	67.81	निदेशालय

(सेवा राम स्वामी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
4. निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर।
5. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

(ओम प्रकाश वर्मा)
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं राज्य-सरकार के आदेशों की पालनार्थ प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान-जयपुर
2. सहायक प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ
3. संबंधित अभ्यर्थी श्री मनोज कुमार शर्मा/श्यामलाल शर्मा
4. सामान्य पत्रावली।

(बृजेश मुदगल)
उपनिदेशक